न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 57 / 2020
कलवन्त पुत्र बलकार सिंह जाति सिक्ख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. हाजर खां
2. नाजर खां पिसरान हसन खां जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

4. मानसिंह पुत्र बलकार सिंह जाति सिक्ख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी।
5. बलजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति सिक्ख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी।

तरतीवी अप्रार्थीगण

6. समैदीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री मौहम्मद खां वकील अप्रार्थीगण संख्या 1,2,6

दिनांक :– 01.02.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 1518 / 0.25, 1519 / 0.02, नये खसरा नम्बर 1980 / 0.25, 1981 / 0.02 है0 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 1980 / 0.25, 1981 / 0.02 का पुराना खसरा नम्बर 1518 / 0.25, 1519 / 0.02 थे जिनके उत्तर दिशा में लगता हुआ एक आम रास्ता था। जिस पर बाद में पक्की सडक डाल दी गई। जो सीकरी से डीग वाया कैथवाडा होकर निकलती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

(37)

बन्दोबस्त विभाग द्वारा नवीन नक्शे में उक्त डामर सडक को हमारे खसरा नम्बर 1980, 1981 के उत्तर दिशा में लगता हुआ न दर्शा कर खसरा नम्बर 2400 2401 के दक्षिण दिशा में दर्शा दिया गया है। जिससे मौके की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है और हमारे खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 के आगे उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता व उसके आगे 2403 खसरा नम्बर को दर्शा दिया गया है। जो कि मौके के बिल्कुल खिलाफ है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना रिकॉर्ड व मौके के निरीक्षण किये नवीन नक्शे को जारी कर दिया है। मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित थी का दौराने विवाद बेचान कर दिया है। जिससे मूल प्रार्थना पत्र में तथ्यों में भिन्नता आ गई व जो रिलीफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध चाही गई थी उसकी जगह पर अब आराजी का खातेदार समैदीन पुत्र रहमत दर्ज रिकॉर्ड हो जाने के कारण समैदीन को पक्षकार बनाते हुये । प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त नवीन खसरा नम्बरो के नक्शा ट्रेस दिनांक 26.10.2020 को लेने पर मुझ प्रार्थी को जानकारी में आया हैं। प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी 5 व 6 के अधिकार समान है। वक्त दायरी मुकदमा तरतीवी अप्रार्थी 5 व 6 उपस्थित नहीं थे । इसलिए इनको तरतीवी अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 के लगता हुआ । उत्तर दिशा में डामर सडक को दर्शाया जावे अर्थात डामर सडक से लगता हुआ । मेरे खसरा नम्बर 1980/0.25, 1987/0.02 को सडक के दक्षिण दिशा में दर्शा कर संशोधित किया जावें एवं खसरा नम्बर 2403/0.08 को सडक से लगता है। सडक के उत्तर दिशा में दर्शाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । उनके विरूद्ध दिनांक 11.11.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ,2 ,6 मय वकील उपस्थित न्यायालय आये ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों एवं अप्रार्थीगण की आराजी को हडपने की नियत से पेश किया है। जो काबिले खारिजी है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1836/0.08 पर अरसे दराज से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी जरूरत खास अपनी आराजी में से 0.01 एयर जमीन दिनांक 28.05.2012 को प्रार्थीगण मानसिंह, कलबन्त सिंह को बेचान कर गई थी। प्रार्थीगण का उक्त नम्बर पूर्व से सडक से सटा हुआ

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है। जो वतरफ दक्षिण में स्थित है। अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 1836 का नया नम्बर 2403/0.08 हैक्टर है तथा शेष आराजी का दिनांक 6.11.2020 को बयनामा अप्रार्थीगण ने अपनी जरूरत खास समैदीन पुत्र रहमत को बेचान कर दिया तथा मौके पर कब्जा सौंप दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के प्रकरण की पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर दिनांक 14.12.2020 को अदालत हाजा में अपना पक्ष रखने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अप्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 2403 पूर्व से ही सडक के पास वतरफ दक्षिण दिशा में स्थित है। इसी प्रकार पूर्व नक्शे में भी अंकित है। मुताबिक कब्जा के आधार पर सैटलमेन्ट विभाग द्वारा नजरी नक्शा भी बनाया गया है । वह सही बनाया गया है। जिसमें संशोधन की कोई गुंजाईश नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त नम्बर में से जो पूर्व में बेचान प्रार्थीगण को 0.01 एयर का किया गया था उसमें भी दिशा खोलते हुये। दक्षिण दिशा लिखी गई है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 1518/0.25 साविक व उसका नया नम्बर 1580/0.25 सडक से काफी दूर है। यह कभी सडक के पास नहीं रहा है ना ही आज है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त खसरा नम्बर में इस समय रास्ते को मिला रखा है। जबकि पूर्व नक्शे में भी यह नम्बर सडक से काफी दूर है तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार किया नजरी नक्शा मुताबिक मौका कब्जा के आधार पर तैयार किया गया है जो सही है। इसलिए बंदोबस्त नक्शे में तरमीम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 6 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि मुझ अप्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 में से 0.07 एयर का बयनामा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से दिनांक 06.11.2020 को तस्दीक कराया है तथा अप्रार्थी संख्या 6को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मौके पर वतरफ दक्षिण में सडक से लगता हुआ का कब्जा दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 अपनी खरीदशुदा भूमि पर मौके पर आज भी वतरफ दक्षिण काबिज है। अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रार्थीगण के प्रकरण की पूर्व में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 6 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों एवं अप्रार्थीगण की आराजी को हडपने की नियत से पेश किया है।जो काबिले खारिजी के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में सीकरी–डीग– डामर रोड के लगता हुआ । दक्षिण दिशा में स्थित है। जबकि नक्शे में खसरा नम्बरान 1980,1981 के आगे कच्चा रास्ता दर्शाकर कच्चे रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

व डामर सडक के बीच में खसरा नम्बर 2403 दर्शा रखा है। जो कि मौके के अनुसार गलत है। जबकि नक्शे में कच्चा रास्ता व डामर सडक अलग–अलग दर्शा रखी है। जबकि मौके पर कच्चा रास्ता व डामर सडक अलग–अलग न होकर मौके पर केवल डामर सडक स्थित है जो सीकरी से वाया कैथवाडा होकर डीग जाती है। उक्त डामर सडक के दक्षिण दिशा में लगता हुआ खसरा नम्बर 1980, 1981 स्थित है। जिन पर कुलवन्त सिंह, मानसिंह, पिसरान बलकार सिंह व बलजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह का कब्जा काश्त है एवं उक्त सडक के उत्तर दिशा में लगता हुआ खसरा नम्बर 2400, 2401, 2403 स्थित है जिन पर हाजर खां, नाजर खां पिसरान हसन खां का कब्जा है। जिसमें से खसरा नम्बर 2403/0.08 का हाजर खां व नाजर खां ने अपने हिस्से 0.07 का दिनांक 06.11.2020 को बेचान समैदीन पुत्र रहमत मेव निवासी कैथवाडा को कर दिया है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त डामर सडक के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 को व उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2403 को दर्शाया जाता है तो मौके के अनुसार किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2020 तहसीलदार पहाडी पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 04.01.2021 प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति की है कि श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा दिनांक 22.11.2020 को विवादित आराजी की मौका पर्चा रिपोर्ट अदालत श्रीमान के समक्ष खिलाफ कानून एवं मौका व कब्जा पेश की है। जिसमें प्रार्थीगण को ऐतराज है तथा उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट की सूचना दी थी। जिससे प्रार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है। निवेदन है कि विवादित आराजी की मौका पर्चा रिपोर्ट उभय पक्ष की मौजूदगी में पुनः मंगाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील फरीकेन को सुना गया। वकील प्रार्थी ऐतराज प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं करना चाहते है एवं प्रार्थना पत्र के संबन्ध में वकील प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पहाडी से विवादित आराजी का उभयपक्षों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा रिपोर्ट पुनः तलब की गई।

तहसीलदार पहाडी ने पुनः दिनांक 19.01.2021 को मौका रिपोर्ट पेश कि है कि मुताबिक रिपोर्ट पैमाईशा एवं मौका रिकॉर्ड एवं कब्जे के अनुसार निम्न प्रकार है। यह कि प्रार्थी ने अपने वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 को मौका अनुसार सडक के दक्षिण दिशा में संशोधन हेतु चाहा गया है। जो बन्दोबरत विभाग ने वर्तमान आराजी खसरा नम्बर निम्न है।

साविक	रकबा	हाल	रकबा
1835/1	0.08	2400	0.08

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

1835/2	0.08	2401	0.08
1835	0.06	2402	0.06
1836	0.08	2403	0.08
1518	0.25	1980	0.25
1519	0.02	1981	0.02

जिन पर वर्तमान 1980/0.25, 1981/0.02 पर प्रार्थी कलबन्त पुत्र बलकार जाति सिक्ख खातेदार है । आराजी खसरा नम्बर 2400/0.08, 2401/0.08 पर हाजर खां, नाजर खा, पिसरान हसन खां जाति मेव खातेदार है। आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 पर मानसिंह , कलबन्त सिंह पिसरान बलकार सिंह हिस्सा 1/8, समैदीन पुत्र रहमत हिस्सा 7/8 खातेदार है। आराजी खसरा नम्बर 2402/0.06 हाजर खां ,नाजर खां पिसरान हसन खां की खातेदारी मे है परन्तु गै0मु0 सडक दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा रिकॉर्ड में गै0मु0 सडक को 2402/0.06 खसरे के रूप में दर्शाया गया है एवं 2400/0.08 आराजी खसरा नम्बर 2401/0.08 को सडक के उत्तर दिशा में, 2403/0.08 को दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। परन्तु मौके की स्थिति पूर्णतः विपरीत है। मौके के अनुसार डामर सडक 1980/0.25 के उत्तर दिशा एवं आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 के दक्षिण दिशा के मध्य स्थित आबादी के आ0ख0न0 3485 के रास्ते में से गुजरी है। जो कि पूर्व में रास्ते के रूप में ही थी। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 की पैमाईश भी की गई। पैमाईश अनुसार प्रार्थी रिकॉर्ड के मुताविक ही मौके पर काबिज है । परन्तु सडक के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का लगभग 0.30 एयर पर कब्जा है। जबकि रिकॉर्ड अनुसार सडक के उत्तरी दिशा में हाजर खां , नाजर खा की खातेदारी में 2400/0.08, 2401/0.08, कुल 0.16 एयर खातेदारी भूमि है एवं आराजी खसरा नम्बर 2402/0.06 जो कि गै0मु0 सडक के रूप में दर्ज है एवं आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 उसे भी अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में मिलाया हुआ है।

मौका अनुसार स्थिति एवं पैमाईश दोनो से आराजी खसरा नम्बर 1980, 1981 सडक के दक्षिण दिशा में एवं आराजी खसरा नम्बर 2403 सडक के उत्तरी दिशा में प्रतीत होता है। आराजी खसरा नम्बर 2403 एवं 1980 के बीच में सडक आबादी के खसरा नम्बर 3485 में से गुजरी है। न कि खसरा नम्बर 2402 में से एवं खसरा नम्बर 2402/0.08, 2403/0.08 खसरा नम्बर को अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी में सम्मलित किया हुआ है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 तहसीलदार पहाडी पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया है कि श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा दिनांक 19.01.2021 को विवादित आराजी की पैमाईश की गई है व आराजी का मौका पर्चा तैयार किया गया है व कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मौके के विपरीत है। पैमाईश रिपोर्ट जो श्रीमान्जी के समझ प्रस्तुत की गई है वह स्पष्ट नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश सैटलमेन्ट विभाग से कराया जाना आवश्यक है। जिससे न्यायालय श्रीमान के समझ विवादित आराजी की सही स्थिति सामने आ सकें। अदालत श्रीमान द्वारा तहसीलदार पहाडी को आदेशित किया गया कि विवादित आराजी का मौका मुआयना दोनो पक्षों की उपस्थिति में की जावें। परन्तु श्रीमान तहसीलदार पहाडी द्वार हम प्रार्थीगण को मौका मुआयना करते वक्त सूचित नहीं किया गया है। इसलिए तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा प्रस्तुत की गई पैमाईश रिपोर्ट व मौका पर्चा निरस्त फरमाया जाकर । भू–प्रबन्ध विभाग से विवादित आराजी की पैमाईश कराना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी की पैमाईश सैटलमेन्ट विभाग से न्यायहित में कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपनी अराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 का डामर सड़क से दक्षिण दिशा में लगता हुआ होने हेतु संशोधन चाहा गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में दिनांक 22.11.2020 को तहसीलदार पहाडी ने रिकार्ड एवं मौके अनुसार विवादित आराजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिसमें प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 को सड़क के दक्षिण दिशा में एवं अप्रार्थी गण के आराजी खसरा संख्या 2403 को सडक के उत्तर दिशा में होना बताया है। अप्रार्थी गण के ऐतराज पर पुनः दिनांक 19.01.2021 को तहसीलदार पहाडी ने पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न मौके पर सडक की अवस्थिति का है। रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा संख्या 2402 में सडक को दर्शाया गया है। उसके दक्षिण में आराजी खसरा संख्या 2403 को दर्शाया गया है। उसके पश्चात् आबादी का खसरा संख्या 3485 के सडक के भाग को दर्शाया गया है एवं उसके दक्षिण में प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 को दर्शाया गया है। जिनकी आकृति बन्दोबस्त विभाग के पूर्व के नक्शे अनुसार ही वर्तमान नक्शे में है।

परन्तु तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार सडक मौके पर खसरा संख्या 2402 में से न होकर अपितु आबादी का खसरा संख्या 3485 में से गुजरी है। इस बात की पुष्टि तहसीलदार मौका रिपोर्ट में पैमाइश के माध्यम से भी की गयी है। चुंकि सडक के दक्षिण ओर प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 की पैमाइश अनुसार प्रार्थी का रिकॉर्ड अनुसार ही 0.27 हेक्टेयर पर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा है जबकि सडक के उत्तारी दिशा में अप्रार्थी गण का लगभग 0.30 हेक्टेयर पर कब्जा है। जबकि रिकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी गण की खातेदारी में आराजी खसरा संख्या 2400 एवं 2401 कुल 0.16 हेक्टेयर भूमि ही है। सडक के उत्तर दिशा में आराजी खसरा संख्या 2400/0.08, 2401/0.08, 2402/0.06 एवं 2403/0.08 होने पर ही कुल भूमि भी 0.30 हेक्टेयर बैठती है। उक्त पैमाइश से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि मौके पर डामर सडक के उत्तर दिशा में आराजी खसरा संख्या 2400/0.08, 2401/0.08, 2402/0.06 एवं 2403/0.08 है एवं दक्षिण दिशा में आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 हैं। एवं सडक 2402/0.06 में से न गुजर कर आबादी के आराजी खसरा संख्या 3485 में से गुजरी है। आराजी खसरा संख्या 2402/0.06 एवं 2403/0.08 को मौके पर अप्रार्थी गण ने अपनी आराजी में सम्मलित कर रखा है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार योग्य है।

जहां तक अप्रार्थी गण का मौका रिपोर्ट पर ऐतराज का प्रश्न है। पूर्व में भी अप्रार्थी गण के ऐतराज पर मौका रिपोर्ट पुनः मंगाई जा चुकी है। वर्तमान मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा से यह स्पष्ट है कि यह मौका रिपोर्ट विभिन्न राजस्व कर्मी की गठित टीम के माध्यम से की गयी है एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये गये हैं। अतः हम पुनः मौका रिपोर्ट मंगाया जाना उचित नहीं समझते हैं। एवं अप्रार्थी गण का ऐतराज मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 सडक के दक्षिण ओर एवं अप्रार्थी गण का आराजी खसरा संख्या 2403 सडक के उत्तरी ओर है। सडक मौके अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण की आराजी के मध्य में आबादी के खसरा संख्या 3485 में से गुजरी है। चुंकि डामर सडक आबादी के खसरा संख्या 3485 में से गुजरी है इसलिये रिकॉर्ड एवं नक्शा में कोई संशोधन आवश्यक नही है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

... प्रार्थना पत्र की मद सं0 5 कानूनी है जोगीर ए अदालत